गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 342
दि. 15.04.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

लोकतंत्र का नया अध्याय: महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम, लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। भारत की संसदीय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। केंद्र सरकार अब उस दिशा में ठोस कदम बढ़ा रही है, जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था—राजनीति में महिलाओं की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करना। इसी कड़ी में संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना को अधिक समावेशी और संतुलित बनाने का प्रयास माना जा रहा है।

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना है। यह अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है, जो देश की बढ़ती जनसंख्या और बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसमें राज्यों के लिए 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें निर्धारित करने का प्रस्ताव शामिल है। इस तरह संसद में प्रतिनिधित्व का दायरा व्यापक होगा और विभिन्न क्षेत्रों की आवाज को अधिक प्रभावी तरीके से सामने लाने का अवसर मिलेगा।

इस बदलाव के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया है, विशेष रूप से अनुच्छेद 81 में परिवर्तन किया जाएगा। इसके तहत राज्यों से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या को पुनः निर्धारित किया जाएगा, ताकि जनसंख्या के अनुपात में संतुलन स्थापित किया जा सके। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक स्पष्ट व्यवस्था तय की जाएगी, जिससे उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके।

इस पूरे प्रस्ताव का आधार 2011 की जनगणना के आंकड़ों को बनाया गया है। सरकार का मानना है कि नई जनगणना में देरी के कारण यदि परिसीमन प्रक्रिया को टाला जाता है, तो महिला आरक्षण लागू करने में भी अनावश्यक विलंब होगा। इसलिए पहले से उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें समय की आवश्यकता और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे सामाजिक न्याय और समावेशिता को और मजबूती मिलेगी। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239AA, 330A, 332A और 334A के तहत किया जा रहा है, जो इस पहल को संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

सरकार का तर्क स्पष्ट है कि यदि इस प्रक्रिया को नई जनगणना और परिसीमन के साथ जोड़ा गया, तो इसमें कई वर्षों का समय लग सकता है। ऐसे में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। इसलिए मौजूदा आंकड़ों के आधार पर ही इस दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। सरकार का यह भी मानना है कि इस निर्णय से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और संतुलित बनेगी, जहां हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

इस प्रस्ताव का असर आने वाले चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। जैसे ही परिसीमन आयोग अपनी अंतिम अधिसूचना जारी करेगा, उसके बाद होने वाले आम चुनाव और उपचुनाव नई व्यवस्था के तहत आयोजित किए जाएंगे। इसका मतलब है कि संसद और विधानसभाओं की संरचना में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में कहीं अधिक होगी।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां एक ओर यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है, वहीं दूसरी ओर यह राजनीतिक दलों के लिए भी नई चुनौतियां और अवसर लेकर आएगा। अब उन्हें अपने संगठन और उम्मीदवारों के चयन में महिलाओं को अधिक महत्व देना होगा, जिससे राजनीति का स्वरूप भी बदल सकता है।

हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर कुछ सवाल और आशंकाएं भी सामने आ रही हैं, खासकर उन राज्यों की ओर से, जहां जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि सीटों की कुल संख्या बढ़ाने से किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा, बल्कि सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।

कुल मिलाकर, यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक है, जिसमें समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर देने की बात कही जाती है। यदि यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक लागू होता है, तो आने वाले वर्षों में देश की राजनीति में एक नया संतुलन देखने को मिल सकता है, जहां महिलाओं की आवाज पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावशाली होगी।

गोरखा मुद्दे पर संतुलित समाधान का भरोसा, बंगाल विभाजन से इनकार; अमित शाह का ममता सरकार पर तीखा हमला

गंगारामपुर। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी तापमान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने एक बार फिर बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए गोरखा मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य का विभाजन किए बिना दार्जिलिंग की पहाड़ियों में रहने वाले गोरखा समुदाय की समस्याओं का स्थायी और संवैधानिक समाधान निकालेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब लंबे समय से गोरखा समुदाय अपनी पहचान और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर आंदोलन करता रहा है।

शाह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल के टुकड़े करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गोरखा समाज की समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी इस मुद्दे को संवैधानिक दायरे में रहकर, शांतिपूर्ण तरीके से और सभी पक्षों को साथ लेकर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान गोरखा बहुल क्षेत्रों में राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां लंबे समय से अलग गोरखालैंड की मांग उठती रही है।

अपने भाषण के दौरान शाह ने मुख्यमंत्री Mamata Banerjee और उनकी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी

तरह से राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक Humayun Kabir मुख्यमंत्री के "एजेंट" के रूप में कार्य कर रहे हैं और राज्य की राजनीति को एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है।

शाह ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण को लेकर भी विवादित बयान दिया और कहा कि बाबरी मस्जिद की तर्ज पर किसी भी निर्माण की अनुमति भाजपा सरकार नहीं देगी। इस बयान के साथ ही उन्होंने राज्य में कथित राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाते हुए ममता सरकार पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा को सत्ता मिलती है, तो राज्य में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

विकास के मुद्दे पर भी शाह ने कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल के किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। खासकर आलू किसानों की समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में आलू की आपूर्ति पर लगी बाधाओं को हटाया जाएगा, जिससे किसानों को उचित बाजार और बेहतर दाम मिल सकें।

उत्तर बंगाल के विकास को लेकर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। शाह ने कहा कि इस क्षेत्र में एम्स, 600 बेड का कैंसर अस्पताल, आईआईटी, आईआईएम और एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राजबंशी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास करेगी, जिससे इस भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। अपने संबोधन के बाद अमित शाह ने कालियागंज में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक भव्य रोड शो भी किया। इस रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़कों के दोनों ओर खड़े लोगों ने उनका स्वागत किया और इमारतों से भी समर्थकों ने उनका अभिवादन किया। यह रोड शो भाजपा के लिए जनसमर्थन दिखाने का एक बड़ा मंच साबित हुआ। पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह साफ है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां एक ओर विकास और पहचान के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। गोरखा मुद्दे पर शाह का यह बयान जहां एक संतुलित राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है, वहीं ममता सरकार पर उनके हमले चुनावी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन बयानों और वादों का असर मतदाताओं पर कितना पड़ता है और क्या भाजपा अपने इन वादों को चुनावी समर्थन में बदल पाने में सफल होती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की सियासत में यह बयान एक नया विमर्श जरूर खड़ा कर चुका है।

पवन खेड़ा मामले में नया मोड़: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई, असम सरकार ने जमानत पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Pawan Khera से जुड़ा विवाद एक बार फिर कानूनी मोड़ ले चुका है और अब इस पर देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India में अहम सुनवाई होने जा रही है। असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। अदालत आज यानी 15 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिस पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।

यह मामला उस बयान से जुड़ा है, जिसने राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी थी। 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sarma को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने दावा किया था कि उनके पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इन आरोपों ने तुरंत राजनीतिक विवाद को जन्म दिया और मामला तेजी से कानूनी दिशा में बढ़ गया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज

करते हुए इन्हें निराधार और मनगढ़ंत बताया। इसके बाद असम पुलिस की गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें चुनाव से जुड़े मामलों में कथित तौर पर झूठा बयान देने और धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद मामला और गंभीर हो गया और खेड़ा को कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा।

इस बीच, पवन खेड़ा को Telangana High Court से राहत मिली थी, जहां उन्हें जमानत प्रदान की गई थी। लेकिन अब असम सरकार ने इसी जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार का तर्क है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं था और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जो इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच टकराव का भी प्रतीक बन गया है। एक ओर कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, वहीं दूसरी ओर असम सरकार इसे कानून के दायरे में की गई वैध कार्रवाई बता रही है। ऐसे में अदालत का फैसला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं के बयानों की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है और क्या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की सीमा तय होनी चाहिए। सोशल मीडिया और मीडिया के इस दौर में किसी भी बयान का असर बहुत तेजी से फैलता है, जिससे उसकी कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहता है या उसमें कोई बदलाव किया जाता है। यह फैसला आने वाले समय में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल भी बन सकता है, जिसमें राजनीतिक बयान और कानूनी दायित्व आमने-सामने होते हैं।

फिलहाल, पवन खेड़ा के लिए यह एक और बड़ी कानूनी चुनौती है, जबकि असम सरकार अपने रुख पर अडिग नजर आ रही है। आने वाले घंटों में अदालत की कार्यवाही से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बहुचर्चित मामले की दिशा किस ओर बढ़ेगी और इसका असर देश की राजनीति पर किस तरह पड़ता है।

एआई तस्वीर से बढ़ा सियासी तूफान: डोनाल्ड ट्रंप अपने ही खेमे में घिरे, धार्मिक भावनाओं पर बहस तेज

वाशिंगटन। अमेरिकी राजनीति एक बार फिर तीखे विवाद के केंद्र में आ गई है, और इस बार वजह बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump। एक एआई-जनित तस्वीर, जिसमें उन्हें ईसा मसीह के रूप में दर्शाया गया, और उसके बाद पोप पर की गई टिप्पणियों ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसने न केवल विपक्ष बल्कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी असहजता पैदा कर दी है। यह मामला अब केवल एक बयान या तस्वीर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक भावनाओं, राजनीतिक मर्यादा और नेतृत्व की जिम्मेदारी जैसे बड़े सवालों को जन्म दे रहा है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसमें ट्रंप को ईसा मसीह के रूप में दर्शाया गया था। इस तस्वीर को लेकर पहले ही बहस छिड़ी हुई थी कि क्या यह केवल एक मजाक है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक मंशा है। लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब ट्रंप की ओर से पोप पर सीधे हमले जैसी टिप्पणियां सामने आईं। इस घटनाक्रम ने खासकर कैथोलिक समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी, जो अमेरिका की राजनीति में एक प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद ट्रंप के लिए ऐसे समय में सामने आया है, जब वह पहले ही 2024 के चुनावों में कैथोलिक मतदाताओं का समर्थन पाने में सफल रहे थे। ऐसे में इस तरह का

विवाद उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही वजह है कि उनकी अपनी पार्टी, Republican Party के कई नेता भी अब खुलकर असहमति जताने लगे हैं।

पार्टी के भीतर से आई प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि मामला केवल विपक्षी आलोचना तक सीमित नहीं है। पूर्व आरएनसी सदस्य ब्राइलिन होलीहैंड ने इस घटना को सीधे तौर पर ईशनिंदा करार दिया, जबकि राइली गेन्स ने ट्रंप को सार्वजनिक जीवन में अधिक विनम्रता बरतने की सलाह दी। कैथोलिक धर्मगुरु Robert Barron ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनुचित बताया और माफी की मांग की। इसके अलावा, सीनेट के वरिष्ठ नेता John Thune और Mike Rounds जैसे नेताओं ने भी ट्रंप को बयानबाजी में संयम रखने की सलाह दी है।

वहीं दूसरी ओर, विपक्षी Democratic Party ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है और ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। डेमोक्रेटिक नेताओं का कहना है कि इस तरह के बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि राजनीतिक संवाद के स्तर को भी गिराते हैं। उनका आरोप है कि ट्रंप बार-बार ऐसे विवाद खड़े करते हैं, जिससे देश में विभाजन की स्थिति पैदा होती है।

इस बढ़ते विवाद के बीच उपराष्ट्रपति JD Vance को सामने आकर स्थिति संभालनी पड़ी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस पूरे मामले को हल्का करते हुए कहा कि यह केवल एक मजाक था और ट्रंप का इरादा खुद को ईसा मसीह के रूप में प्रस्तुत करने का नहीं था। हालांकि, वेंस ने इस दौरान पोप पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें केवल नैतिक मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए और अमेरिकी नीतियों को राष्ट्रपति पर छोड़ देना चाहिए। उनके इस बयान को कुछ लोग ट्रंप का बचाव मान रहे हैं, तो कुछ इसे कैथोलिक मतदाताओं के बीच अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं।

यह पूरा घटनाक्रम अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या नेताओं को अपने बयानों और सार्वजनिक छवि को लेकर अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, खासकर तब जब बात धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं से जुड़ी हो। सोशल मीडिया और एआई तकनीक के इस दौर में किसी भी तस्वीर या बयान का असर बहुत तेजी से फैलता है, और उसका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की राजनीति अक्सर विवादों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें धार्मिक भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ट्रंप इस विवाद को किस तरह संभालते हैं और क्या वह अपने समर्थकों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रख पाते हैं।

फिलहाल, इतना स्पष्ट है कि यह विवाद जल्द खत्म होने वाला नहीं है। यह न केवल अमेरिकी राजनीति में बहस को तेज करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले समय में राजनीतिक नेताओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की सीमाएं कहां तक तय की जानी चाहिए।

संपादकीय

श्रमिक अशांति

कोरोना संकट के बाद पटरी पर लौटती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया के कई भागों में जारी युद्ध व संघर्ष ने फिर पटरी से उतार दिया है। महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा मानवता और आम आदमी के जीवन पर भारी पड़ी है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति को बाधित जरूर किया, लेकिन उसका असर उतना व्यापक नहीं था, जितना खाड़ी युद्ध का रहा है। जाहिरा तौर पर वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित होने से आम आदमी के जीवन पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जीवन शैली व थाली पर गहरा प्रभाव डाला है। अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबों और इस्राइल की आक्रामकता से उपजे खाड़ी संकट ने एशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को संकट में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र की विफलता के चलते आज दुनिया में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ हुई है। जिसका सीधा असर महंगाई वृद्धि के रूप में सामने आया है। एक ओर ईंधन संकट और उससे बुरी तरह प्रभावित जनजीवन आक्रोश का कारक बना है। विडंबना यह है कि इस महंगाई के बीच कामगारों के वेतन सिकुड़ने लगे हैं। जीवनयापन कठिन होते और कोई समाधान न निकलते देख श्रमिकों का आक्रोश सड़क तक पहुंचने लगा है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में फैक्ट्रियों के श्रमिकों द्वारा किया गया हिंसक प्रदर्शन इस संकट की परिणति ही है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की औद्योगिक नगरी मानेसर में भी पुलिस व श्रमिकों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं। ये टकराव भारतीय औद्योगिक तंत्र की विसंगतियों की ही याद दिलाते हैं। इस तरह के हिंसक संघर्ष हमारी कानून-व्यवस्था की विफलता को भी उजागर करते हैं। वहीं बताते हैं कि श्रमिक वर्ग, उद्योग और राज्य सरकार के बीच कहीं न कहीं संवाद की कमी है। यही वजह है कि वेतन बढ़ाने की मांग के समर्थन में शुरू हुआ मार्च कालांतर आगजनी, तोड़फोड़ व यातायात बाधित करने में तब्दील हो गया।

निश्चित तौर पर समय रहते इस श्रमिक असंतोष को भांपते हुए बेहतर ढंग से संवाद किया जाता तो शायद टकराव की स्थिति पैदा न होती। दरअसल, सरकारों की तरफ से तो कहा जा रहा है कि देश में ईंधन व गैस आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन जमाखोरी व प्रशासन की उदासीनता से इसकी कालाबाजारी जारी है। श्रमिक वर्ग जो छोटे गैस सिलेंडरों से जीवन-यापन करता था, उसमें व्यवधान पैदा हो गया। नियंत्रित गैस आपूर्ति से छोटे गैस सिलेंडर भरने का धंधा ठप हो गया। शायद सरकारों को भी इस बात का अहसास नहीं था कि कितना बड़ा श्रमिक वर्ग छोटे गैस सिलेंडरों को भरने के काले धंधे पर निर्भर है। यही वजह है कि हिमाचल समेत कई राज्यों में खाना पकाने के संकट के चलते श्रमिकों के घर लौटने के मामले प्रकाश में आए हैं। लेकिन इस संकट को शासन-प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया गया। निर्विवाद रूप से बढ़ती महंगाई और स्थिर वेतन के बीच बढ़ती खाई से अशांति की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। औद्योगिक केंद्रों में कामगार पश्चिम एशिया युद्ध के चलते बढ़ी महंगाई के कारण दबाव में अपना गुजारा करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। निस्संदेह, हरियाणा द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय इस गंभीर वास्तविकता की स्वीकृति को ही दर्शाता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि तात्कालिक उपाय के रूप में बातचीत और शिकायतों का फौरी निवारण कारगर विकल्प नहीं हो सकते। हालांकि, अधिकारी अशांति फैलाने में निहित स्वार्थी तत्वों की भूमिका की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं व्यवस्थागत अविश्वास को भी दर्शाती हैं। दरअसल, श्रमिकों का उपेक्षित महसूस करना वातावरण को अस्थिर बनाता है। लेकिन यह एक हकीकत है कि दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लिये विनिर्माण की महत्वाकांक्षाएं स्थिर-प्रेरित कार्यबल के बिना संभव नहीं हैं। औद्योगिक अशांति केवल उत्पादन-निवेश तक ही सीमित नहीं रहती। इससे आपूर्ति शृंखला बाधित होने और निवेशकों का भरोसा कम होने की आशंका भी पैदा होती है। निस्संदेह, आर्थिक प्रगति समावेशी हो। शासन को श्रमिक हितैषी होना चाहिए। विश्वास निर्माण से ही हमारे कारखाने विकास का इंजन बन सकते हैं।

बंगाल को चाहिए आर्थिक नवजागरण

> यह लेख पश्चिम बंगाल के आर्थिक पतन का विश्लेषण करता है, जो कभी भारत का औद्योगिक केंद्र था। साठ के दशक से शुरू हुई यह गिरावट राजनीतिक नीतियों, आर्थिक विषमता और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों का परिणाम है।

स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, भारत जो कल सोचता है उसे बंगाल आज सोच लेता है। उनकी यह उक्ति स्वतंत्रता के समय के पश्चिम बंगाल के लिए सटीक थी। बंगाल सांस्कृतिक और सामाजिक नवजागरण के साथ-साथ देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास का भी केंद्र था और कलकत्ता(अब कोलकाता) उसकी मुकुटमणि था। स्वतंत्रता के समय उद्योग और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कलकत्ता ही था, जिसकी जीडीपी शंघाई के बराबर थी और औसत आय उससे भी अधिक।

देश की एक चौथाई वस्तुओं का उत्पादन अकेले बंगाल में होता था और देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान बंगाल का ही था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद और खासकर साठ के दशक के बाद बंगाल और कलकत्ता की किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि आज इस राज्य में तीन प्रतिशत से भी कम वस्तुएं बनती हैं और जीडीपी में उसका योगदान घटकर केवल 5.6 प्रतिशत रह गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी वह पहले स्थान से फिसलकर 21वें पायदान पर चला गया है। राज्यों के मानव विकास सूचकांक में भी वह 22वें से 25वें पायदान पर है। ओडिशा भी उससे आगे निकल चुका है। इस पतन का असली कारण बंगाल की राजनीति, आर्थिक विषमता और कानून व्यवस्था में छिपा है, जिसे राज्य सरकारों ने लगातार नजरअंदाज किया है।

बढ़ती आर्थिक विषमता के कारण साठ के दशक से ही नक्सलबाड़ी के हिंसक आंदोलन का दौर शुरू हो गया, जिस पर अंकुश लगाने में राज्य और केंद्र सरकारें, दोनों विफल रहीं। इससे कानून व्यवस्था भंग हुई और राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मझोले कारोबारों ने परेशान होकर बड़ी संख्या में पलायन शुरू किया। सत्तर का दशक आते-आते मजदूर संगठनों के सिंडिकेट बनने शुरू

हुए, जिन्होंने बड़े उद्योगों को हड़तालों और घेराव से परेशान करना शुरू किया। उनके डर से नए पूंजी निवेशकों का आना तो दूर, पहले से जमे बड़े उद्योग घरानों ने भी कोलकाता से अपने कारोबार समेटने शुरू कर दिए।

टाटा और बिड़ला के कारोबारी मुख्यालय मुंबई चले गए और एंबेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स से लेकर डनलप टायर तक हुगली के किनारे लगे कारखाने एक-एक करके बंद होते गए। सत्तर का दशक दुनिया भर में मजदूर आंदोलनों का दशक था। भारत में कोलकाता ही नहीं, अहमदाबाद और मुंबई के कारखानों के मजदूर भी हड़ताल, घेराव और आंदोलन कर रहे थे। इसी दौर में बंगाल की जनता ने वाम मोर्चे को भारी जनादेश दिया और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। वे 23 साल मुख्यमंत्री रहे। उनकी और उनके बाद 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकारों की प्राथमिकता निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देकर उद्योग और रोजगार पैदा करने और उससे बढ़े राजस्व को सामाजिक न्याय के कार्यों में लगाने के बजाय सरकारी नियंत्रण और पुनर्वितरण की रही।

यह वही दौर था, जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी माओ की सरकारी नियंत्रण और पुनर्वितरण की नीतियों से हुई बर्बादी से सबक सीखकर विदेशी पूंजी निवेश से औद्योगीकरण की तरफ बढ़ रही थी। इसके दस साल बाद सोवियत संघ भी सत्तर साल की सरकारी नियंत्रण और पुनर्वितरण की नीतियों की नाकामी से भंग हुआ और रूस निजी उद्योगों की तरफ बढ़ा, लेकिन देश से एक दिन आगे देखने वाले बंगाल को यह सब दिखाई नहीं दिया। भुगतान संकट से विवश होकर भारत सरकार ने भी 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाईं, जिनका लाभ उठाकर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों ने तेजी से औद्योगीकरण शुरू किया, पर बंगाल के लोग पलायन करते कारोबारों और घटती औसत आय देखकर भी चुनाव-दर-चुनाव उन्हीं सरकारों को चुनते रहे, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही थीं।

सात बार वाममोर्चा सरकारें चुनने के बाद बंगाल के लोगों ने 2011 में तृणमूल कांग्रेस को जनादेश दिया और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं। यह स्पष्ट नहीं था कि उनकी पार्टी को उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जनादेश मिला था या उन्हें राज्य से भगाने के लिए, क्योंकि बंगाल की राजनीति में उनका सिक्का ही टाटा उद्योग समूह को नैनो कार का कारखाना लगाने के लिए सिंगूर में दी गई जमीन के विरोध में भड़के आंदोलन का नेतृत्व करने की वजह से जमा था। ममता के 15 साल लंबे शासनकाल में भी राज्य से उद्योगों का पलायन जारी रहा और लगभग 6800 छोटी-बड़ी कंपनियों ने पलायन किया, जिसके कारण कर्ज का बोझ जीडीपी की तुलना में 38 प्रतिशत की सीमा पार कर गया। आज राज्य के बजट का 56 प्रतिशत केवल कर्ज का ब्याज चुकाने, वेतन और पेंशन देने में खर्च हो रहा है।

बजट का 46 प्रतिशत जनकल्याण योजनाओं और वोट बैंक बनाने के लिए शुरू की गई लाभार्थी योजनाओं पर खर्च हो रहा है, जिसे कर्ज लेकर पूरा किया जाता है। इसलिए बुनियादी ढांचा सुधारने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं बचता। आर्थिक नीतियों में आमूलचूल सुधार किए बिना यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। बंगाल की भौगोलिक स्थिति बेजोड़ है। उसके पास देश का सबसे पुराना बंदरगाह है और पूर्वोत्तर भारत के साथ-साथ नेपाल और भूटान का समुद्री व्यापार भी उसी के जरिये होता है। उसके पास खनिज संपदा, समृद्ध विरासत और कोलकाता जैसा औद्योगिक केंद्र है, फिर भी वह देश के विकास का इंजन नहीं बन पाया।

बंगाल को विकास का इंजन बनाए बिना न पूर्वी भारत का विकास हो सकता है और न ही भारत विकास की सही रफ्तार पकड़ सकता है। बंगाल की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक यहां का मतदाता विकास और कानून व्यवस्था को चुनाव का प्रमुख मुद्दा नहीं बनाता। तमिलनाडु और कर्नाटक के औद्योगिक विकास का एक कारण यह भी है कि वहां के मतदाता गलत आर्थिक नीतियों पर चलने वाली सरकारों को हर बार बदल लेते हैं। इसकी वजह से सरकारें भी सजग रहती हैं।

प्रेरणा

बिखरे हुए शब्दों की परछाई और आत्मा पर उनका बोझ

भारतीय चिंतन परंपरा में यह बार-बार कहा गया है कि मनुष्य का चरित्र उसके कर्मों से जितना बनता है, उतना ही उसके शब्दों से भी बनता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होते हैं और उसी के साथ वे दूसरों के जीवन में प्रभाव डालने वाली अदृश्य शक्ति भी बन जाते हैं। प्राचीन काल में महान आचार्य Chanakya ने इसी सत्य को एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण के माध्यम से समझाया था। उनके आश्रम की एक घटना यह बताती है कि कैसे एक छोटी सी आदत पूरे वातावरण को बदल सकती है और कैसे समय रहते समझ आने पर वही व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन भी ला सकता है।

आश्रम में एक ऐसा शिष्य था, जिसे दूसरों की बातें सुनकर उन्हें आगे बढ़ाने में विशेष आनंद आता था। वह इसे कोई गलत कार्य नहीं मानता था, बल्कि उसके लिए यह एक प्रकार का मनोरंजन था। जब भी उसे किसी के बारे में कोई बात पता चलती, वह उसे थोड़ा सजाकर, थोड़ा बदलकर किसी और तक पहुंचा देता। उसे लगता था कि इससे वह लोगों के बीच अधिक चर्चित और महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन धीरे-धीरे उसकी इस आदत ने आश्रम के वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया। जहां पहले एक-दूसरे के प्रति विश्वास और स्नेह था, वहां अब शंका और दूरी पनपने लगी। छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा होने लगीं और संबंधों में खटास आने लगी।

आचार्य चाणक्य ने इस परिवर्तन को बहुत गहराई से देखा। उन्होंने समझ लिया कि यह केवल एक व्यक्ति की आदत का परिणाम है, लेकिन इसे सुधारने के लिए केवल डांटना या दंड देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए उस शिष्य को स्वयं यह अनुभव करना होगा कि उसके शब्दों का प्रभाव कितना व्यापक और गहरा होता है। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बिना किसी भूमिका के एक तकिया उसके हाथ में थमा दिया। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वह पूरे गांव में घूमे और उस तकिए की रूई को हवा में उड़ाता जाए।

शिष्य को यह कार्य अजीब लगा, लेकिन उसने बिना किसी प्रश्न के गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह गांव की गलियों में घूमता रहा और रूई के छोटे-छोटे टुकड़ों को हवा में बिखेरता गया। हवा के झोंकों के साथ वे टुकड़े दूर-दूर तक फैलते चले गए। कुछ पेड़ों पर अटक गए, कुछ घरों की छतों पर जा गिरे और कुछ तो आंखों से ओझल हो गए। जब तकिया पूरी तरह खाली हो गया, तब वह संतोष के साथ आश्रम लौट आया।

वापस आने पर आचार्य ने उससे कहा कि अब वह उन सभी रूई के टुकड़ों को वापस इकट्ठा करके ले आए। यह सुनकर शिष्य को हंसी आ गई। उसने कहा कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि वे टुकड़े अब हर दिशा में बिखर चुके हैं और उन्हें वापस लाना संभव नहीं है। तब आचार्य ने उसे जो समझाया, वही इस पूरी कथा का सार है। उन्होंने कहा कि जैसे वह रूई के टुकड़े अब कभी पूरी तरह वापस नहीं आ सकते, वैसे ही उसके द्वारा बोले गए शब्द भी कभी वापस नहीं लिए जा सकते।

यह बात शिष्य के मन में गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अब तक जिस कार्य को एक साधारण आदत समझ रहा था, वह वास्तव में दूसरों के जीवन में अशांति और दुख का कारण बन रहा था। उसके शब्द लोगों के मन में जाकर अपनी छाप छोड़ रहे थे, और उन छापों को मिटाना उसके बस में नहीं था। उसने समझा कि चुगली का जो क्षणिक आनंद उसे मिलता था, वह वास्तव में दूसरों के दर्द की कीमत पर था, और यह एक ऐसा आनंद था जो अंततः उसी के लिए बोझ बन सकता था।

यह कहानी केवल उस शिष्य की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है, जो कभी न कभी बिना सोचे-समझे किसी के बारे में कुछ कह देता है। आज के आधुनिक युग में, जहां संचार के साधन अत्यंत तेज और व्यापक हो गए हैं, यह शिक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटी सी बात कुछ ही क्षणों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। ऐसे में यदि वह बात गलत या अधूरी हो, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है।

शब्दों की यही विशेषता है कि वे एक बार निकल जाने के बाद अपने प्रभाव को फैलाते रहते हैं। वे केवल सुनने वाले के कानों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उसके मन और भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। एक नकारात्मक बात किसी के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है, किसी के संबंधों में दरार डाल सकती है और किसी के जीवन में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। इसके विपरीत, एक सकारात्मक और सच्चा शब्द किसी के जीवन में आशा और प्रेरणा भी भर सकता है।

इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने शब्दों के प्रति सजग रहें। बोलने से पहले यह सोचें कि क्या हम जो कहने जा रहे हैं, वह सत्य है, क्या वह आवश्यक है और क्या उससे किसी को अनावश्यक चोट तो नहीं पहुंचेगी। यदि हम इन तीन बातों का ध्यान रखें, तो हम अपने शब्दों को एक सकारात्मक शक्ति में बदल सकते हैं।

अंततः यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान अर्जित करने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारने में है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे शब्द कितने प्रभावशाली हैं, तब हम उन्हें अधिक जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करने लगते हैं। चुगली और निंदा से मिलने वाला क्षणिक आनंद कभी भी उस स्थायी शांति और सम्मान की बराबरी नहीं कर सकता, जो सच्चाई और संवेदनशीलता से भरे शब्दों से प्राप्त होता है। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने शब्दों को इस तरह चुनें कि वे किसी के जीवन में प्रकाश बनें, न कि अंधकार, क्योंकि एक बार जो शब्द बिखर जाते हैं, वे केवल दूसरों के जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा पर भी एक स्थायी छाया छोड़ जाते हैं।

महिला आरक्षण की पहल

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसे मोड़ का संकेत देता है, जहां प्रतिनिधित्व की परिभाषा अधिक समावेशी और संतुलित बनने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई देती है। Narendra Modi द्वारा इसे इस सदी के महत्वपूर्ण कदमों में से एक बताया जाना केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि उस सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत है, जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है। ऐसे में यह अधिनियम न केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने का माध्यम बन सकता है, बल्कि नीति-निर्माण में महिलाओं की दृष्टि और अनुभव को भी स्थान दिला सकता है।

हालांकि इस अधिनियम के लागू करने के तरीके को लेकर जो बहस छिड़ी है, वह भी अपने आप में लोकतंत्र की एक स्वस्थ प्रक्रिया का हिस्सा है। पहले यह प्रस्ताव था कि महिला आरक्षण नई जनगणना के आधार पर लागू किया जाएगा, लेकिन जनगणना में हो रही देरी ने सरकार को एक व्यावहारिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। इस निर्णय पर आपत्ति जताने वाले यह तर्क दे रहे हैं कि पुरानी जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करना कुछ राज्यों के साथ अन्याय कर सकता है, क्योंकि जनसंख्या में हुए बदलावों का सही प्रतिबिंब इसमें नहीं दिखेगा। लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यदि ताजा जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया का इंतजार किया जाए, तो यह पूरा मामला कई वर्षों तक टल सकता है और 2029 के आम चुनाव भी इसी स्थिति में निकल सकते हैं।

भारतीय राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि बड़े और ऐतिहासिक निर्णयों के साथ राजनीतिक लाभ-हानि के समीकरण भी जुड़े होते हैं। इस अधिनियम के संदर्भ में भी विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इसे अपने राजनीतिक हित साधने के लिए उपयोग कर रही है। यह आरोप पूरी तरह निराधार भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति में हर निर्णय के पीछे राजनीतिक रणनीति भी होती है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि यदि कोई निर्णय व्यापक जनहित में हो और उससे समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ मिलने की संभावना हो, तो केवल इस आधार पर उसका विरोध करना कि उससे किसी दल को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, उचित नहीं कहा जा सकता।

वास्तव में महिला आरक्षण का मुद्दा किसी एक दल या सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का मुद्दा है। यदि इसे सही मायनों में लागू किया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक सोच में भी बदलाव लाने का माध्यम बनेगा। जब अधिक संख्या में महिलाएं नीति-निर्माण में भाग लेंगी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिलने की संभावना है। यह भी देखा गया है कि जहां स्थानीय स्तर पर पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिला है, वहां कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। फिर भी यह मान लेना कि केवल आरक्षण से ही महिलाओं का समग्र उत्थान हो जाएगा, एक अधूरा दृष्टिकोण होगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसके साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर भी महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। जब तक समाज में लैंगिक भेदभाव, शिक्षा में असमानता और आर्थिक निर्भरता जैसी समस्याएं बनी रहेंगी, तब तक केवल राजनीतिक आरक्षण से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे।

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल आरक्षित सीटों पर ही नहीं, बल्कि सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को टिकट देने की दिशा में पहल करनी चाहिए। यदि महिलाएं केवल आरक्षित सीटों तक सीमित रह जाएंगी, तो यह सशक्तिकरण की बजाय एक सीमित अवसर बनकर रह जाएगा। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो महिलाएं राजनीति में आती हैं, उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और समर्थन मिले, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें।

विपक्ष की भूमिका भी इस संदर्भ में कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि यह अधिनियम वास्तव में महिलाओं के हित में है, तो उसे समर्थन देना विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र में स्वस्थ बहस और आलोचना आवश्यक है, लेकिन वह तथ्यों और तर्कों पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल आशंकाओं और अनुमानों पर। यदि विपक्ष इस प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाता है, तो इसका श्रेय उसे भी मिलेगा और यह एक साझा उपलब्धि बन सकती है। अंततः, नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है कि अब समय आ गया है जब महिलाओं को केवल मतदाता या दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि निर्णयकर्ता के रूप में देखा जाए। यह परिवर्तन केवल संसद के भीतर नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर महसूस किया जाना चाहिए। यदि सरकार, राजनीतिक दल और समाज मिलकर इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करें, तो यह अधिनियम वास्तव में भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

अभियान

हिमालय की गोद में शिवत्व का दिव्य साक्षात्कार: केदारनाथ की अनंत कथा

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ ऐसे तीर्थ हैं, जो केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण और ईश्वर के साक्षात्कार के केंद्र माने जाते हैं। उन्हीं में से एक है Kedarnath Temple, जो चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव होने के साथ-साथ भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है। समुद्र तल से लगभग साढ़े तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित यह धाम केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व से भी अद्वितीय है। यहां पहुंचते ही ऐसा अनुभव होता है मानो सांसारिक हलचल पीछे छूट गई हो और केवल शिवत्व का विस्तार शेष रह गया हो।

ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है 'प्रकाश का स्तंभ', जो भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक है। केदारनाथ को विशेष रूप से 'केदारम' कहा गया है, जिसका अर्थ है वह क्षेत्र जहां शिव स्वयं निवास करते हैं। 'केदार' शब्द का अर्थ है क्षेत्र और 'नाथ' का अर्थ है स्वामी, अर्थात यह वह स्थान है जहां शिव क्षेत्र के अधिपति के रूप में विराजमान हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र को 'केदारखंड' कहा गया है, जो इसकी महिमा और प्राचीनता का प्रमाण है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह स्थान स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति से पवित्र हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब शिव ने ब्रह्मा का रूप धारण किया, तब उन्होंने इसी स्थान को अपना निवास बनाया। यह स्थल देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। सतयुग में महात्मा उपमन्यु ने यहां कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया।

द्वापर युग में इस धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में आते हैं। किंतु शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने महिष (भैंसे) का रूप धारण कर लिया। पांडवों को यह आभास हो गया कि यह कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि स्वयं शिव हैं। जब वह भूमिगत होने लगे, तब भीम ने उनका पृष्ठ भाग पकड़ लिया। वही भाग केदारनाथ में शिला रूप में प्रकट हुआ, जबकि अन्य अंग Madhyamaheshwar Temple, Tungnath Temple, Rudranath Temple और Kalpeshwar Temple में स्थापित हुए। ये सभी मिलकर पंच केदार कहलाते हैं, जो शिव की विभिन्न रूपों में उपस्थिति का प्रतीक हैं।

केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा एक त्रिकोणीय शिला के रूप में की जाती है, जो अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसे अलग बनाती है। गर्भगृह में स्थित यह शिला लगभग ढाई मीटर की परिधि और डेढ़ फीट की ऊंचाई वाली है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस शिला में मानव सिर की आकृति झलकती है, जो शिव के सजीव स्वरूप का अनुभव कराती है। यहां पूजा करते समय भक्त केवल एक मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के सामने खड़े होते हैं, जो अनादि काल से इस स्थान पर विद्यमान है।

मंदिर की संरचना भी अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है। यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित है—सभा मंडप और गर्भगृह। सभा मंडप में माता पार्वती, पांचों पांडव, भगवान कृष्ण, नंदी और वीरभद्र की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से यह स्थान केवल शिव का ही नहीं, बल्कि समस्त पौराणिक घटनाओं का साक्षी प्रतीत होता है। मंदिर के बाहर विशाल नंदी की मूर्ति श्रद्धालुओं का स्वागत करती है, जो शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक है।

इतिहास के पन्नों में भी केदारनाथ का उल्लेख बार-बार मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, जिसे बाद में उनके वंशज राजा जनमेजय ने संरक्षित किया। इसके बाद आदि गुरु Adi Shankaracharya ने पांचवीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे पुनः धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। कहा जाता है कि उन्होंने यहीं समाधि ली थी, जिससे इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है।

भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार, यह मंदिर कई शताब्दियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा होगा, विशेषकर लघु हिमयुग के दौरान, जो लगभग 1300 से 1900 ईस्वी के बीच का समय था। इसके बावजूद मंदिर की संरचना सुरक्षित रही, जो इसकी अद्भुत वास्तुकला और निर्माण तकनीक का प्रमाण है। हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भी यह मंदिर अडिग खड़ा है, मानो स्वयं शिव इसकी रक्षा कर रहे हों।

केदारनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था भी अत्यंत रोचक है। यहां के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, दक्षिण भारत के वीरशैव लिंगायत संप्रदाय से होते हैं। विशेष बात यह है कि रावल स्वयं पूजा नहीं करते, बल्कि पंच पुजारियों में से किसी एक को नियुक्त करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है।

मंदिर का प्रबंधन Shri Badrinath Kedarnath Temple Committee द्वारा किया जाता है, जिसका गठन 1948 में किया गया था। यह समिति न केवल केदारनाथ, बल्कि बद्रीनाथ और अन्य संबंधित मंदिरों के संचालन की जिम्मेदारी निभाती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी श्रद्धालुओं को सुचारु रूप से दर्शन मिल सकें।

केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक अनुभव है—एक ऐसी यात्रा जो शरीर को थकाती है, लेकिन आत्मा को ऊर्जा से भर देती है। यहां पहुंचने के लिए कठिन रास्तों, ऊंचे पहाड़ों और ठंडे वातावरण से गुजरना पड़ता है, लेकिन हर कदम पर श्रद्धा और विश्वास साथ चलता है। जब भक्त मंदिर के सामने खड़ा होता है, तो उसे ऐसा लगता है मानो उसकी सारी थकान और चिंताएं कहीं खो गई हों और वह केवल शिव के सान्निध्य में है।

अंततः, केदारनाथ की यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी यदि विश्वास अडिग रहे, तो हम अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचान सकते हैं। हिमालय की गोद में स्थित यह धाम आज भी उसी तरह जीवंत है, जैसे हजारों वर्ष पहले था—एक ऐसा स्थान जहां हर पत्थर, हर हवा का झोंका और हर प्रार्थना शिव की उपस्थिति का अनुभव कराता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का पांचवां दीक्षांत समारोह

सुरक्षा के लिए आवश्यक शस्त्रों तथा साधनों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बने; इस दिशा में सरकार के ठोस प्रयास : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शिक्षा को व्यक्तिगत उन्नति या विकास का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का प्रभावी आधार मानते हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्र का मनोबल और जनमानस की जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल
- राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल सहित विभिन्न संकायों के स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के कुल 562 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

- युवा शक्ति ही देश के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य का आधार है
- डिजिटल युग में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं का महत्व और उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है
- सुरक्षा केवल भौगोलिक सीमाओं या पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और कूटनीति भी पारंपरिक शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण हैं
- साइबर सुरक्षा अब केवल सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह डिजिटल विश्वास का भी अभिन्न अंग है

राज्यपाल आचार्य देवव्रत

- युवा शक्ति देश भक्ति के संकल्प के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मिशन से जुड़े
- समर्पण, तपस्या और बलिदान की भावना के साथ राष्ट्र के विकास में सहभागी बनकर अपना कर्तव्य पूरा करें

गांधीनगर : राष्ट्रीय सुरक्षा एवं पुलिस प्रशिक्षण क्षेत्र की देश की अग्रणी संस्था, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (आरआरयू) में मंगलवार को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की गरिमामय अध्यक्षता में पांचवां दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण देते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए गौरव का क्षण होता है, क्योंकि वह राष्ट्रहित के लिए शिक्षित, प्रशिक्षित और समर्पित युवा पीढ़ी समाज को समर्पित करती है। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यही युवा शक्ति देश के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इस अवसर पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर विशेष गौरव की भावना व्यक्त की।

राष्ट्रपति ने बदलते समय की सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बात करते हुए जोर देकर कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल युग के आगमन के साथ साइबर क्राइम, फिशिंग अटैक और डेटा सुरक्षा जैसे नए खतरे देश के सामने बड़े संकट के रूप में उभरे हैं। पहले ये शब्द केवल परिचय तक सीमित थे, लेकिन आज ये वास्तविक चुनौती हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं का महत्व तथा जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सुचारु संचालन अब आधुनिक तकनीकी कौशल पर निर्भर है।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश को आज ऐसे कुशल पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है जो साइबर अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और सशक्त हों। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ऐसे फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है जो न्यायालय की कसौटी पर खरे उतरने वाले प्रमाण प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने जोड़ा कि अब सुरक्षा केवल भौगोलिक सीमाओं या पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और कूटनीति पारंपरिक शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण बन गई हैं।

राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा के लिए आवश्यक शस्त्रों और साधनों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा 'डीप टेक' संबंधित नीतियों में उद्योगों के साथ किया गया जुड़ाव प्रशंसनीय है। उन्होंने सुझाव दिया कि रक्षा क्षेत्र में बदलते रुझानों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को अपनी रणनीति लगातार अपडेट करनी चाहिए, ताकि देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए सुरक्षित परिवेश मिल सके।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 'इंडिया एआई मिशन' और एआई गवर्नेंस के माध्यम से भारत विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहा है। 2026 तक भारत इस क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनकर उभरेगा, जो देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए गेम-चेंजर सिद्ध होगा। साइबर सुरक्षा अब केवल सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह डिजिटल विश्वास का भी अभिन्न अंग है।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सुरक्षा बलों के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों ने निर्णायक विजय प्राप्त किया है। देश के जिन क्षेत्रों में पहले भय का वातावरण था, वहां आज शांति और सुरक्षा स्थापित हुई है। पहले जहां नक्सलवाद का लाल झंडा लहराता था, वहां आज देश का राष्ट्रध्वज लहरा रहा है। इस सफलता के लिए उन्होंने सभी राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने जोड़ा कि सुरक्षित वातावरण में ही व्यापार और आर्थिक समृद्धि फलती-फूलती है, इसलिए सुरक्षा कर्मियों का योगदान देश के विकास से सीधे जुड़ा है।

शैक्षणिक और खेल क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रही है। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और कुश्ती जैसे खेलों में पदक जीतकर संस्था का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए खेल क्षेत्र में और प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित किया।

विशेष रूप से दीक्षांत समारोह में छात्राओं के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इंजीनियरिंग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में पदक प्राप्त करने में छात्राएं अग्रणी हैं, यह देखकर अत्यंत खुशी होती है। बेटियों की यह प्रगति दर्शाती है कि वे आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। रक्षा और इंजीनियरिंग में बेटियों की यह प्रगति विकसित भारत का सशक्त चित्र प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रपति ने दीक्षित विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे सुरक्षित, न्यायपूर्ण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। उन्होंने कहा कि आपके जैसे सक्षम और कुशल पेशेवरों के कारण ही भारत आने वाले समय में विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने उभरेगा। देश के विकास के मार्ग पर आपकी सुरक्षा और सेवा अनिवार्य है।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने युवा शक्ति से देशभक्ति के संकल्प के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मिशन में जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस रक्षा यूनिवर्सिटी का सपना देखा था, वह आज साकार होकर राष्ट्र निर्माण में आधारभूत योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व और विजन के कारण ही देश में नक्सलवाद जैसी समस्याएं समाप्त हो रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ बनी है।

राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को सत्य के मार्ग पर चलकर विध्वंसक शक्तियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। श्री अजीत डोभाल की उपस्थिति में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश का युवाधन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए सज्ज है। अंत में उन्होंने उपाधि धारकों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए समर्पण और तपस्या अनिवार्य है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार अविरत कार्य कर रहे हैं, उसका अनुसरण करते हुए यदि युवा सुरक्षा मिशन में सहभागी बनेंगे तो भारत की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को सीख दी कि युवा अपनी कर्तव्यनिष्ठा द्वारा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों-अधिकारियों को राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ देश के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की जयंती पर उन्हें वंदन करते हुए कहा कि डॉ. आंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने संविधान के इस मूल भाव को राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने वाले सभी के लिए अत्यंत प्रासंगिक करार दिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शिक्षा को व्यक्तिगत उन्नति या विकास का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का प्रभावी आधार मानते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 2010 में श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में स्थापित रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी उनकी ही विजनरी लीडरशिप में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में राष्ट्रीय फलक पर कार्यरत हुई है।

मुख्यमंत्री ने इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को राष्ट्रपति द्वारा दी गई डॉक्टरेट की मानद उपाधि को समग्र सुरक्षा तंत्र के लिए गौरव के समान बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और टेक्नोसेवी वर्कफोर्स की जो आवश्यकता बताई है, उसे इस यूनिवर्सिटी ने धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले बेटियों की संख्या का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में रक्षा क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, साइबर रेजिलिएंस, क्रिमिनल जस्टिस और कोस्टल विजिलेंस को सुदृढ़ करने वाले पाठ्यक्रमों के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने डिग्री धारकों का आह्वान किया कि वे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्रों में अपने योगदान से प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को करें।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा।

डॉक्टरेट की मानद उपाधि को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दीर्घदृष्टि का परिणाम है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वर्ष 2008 में उन्होंने इस संस्थान की जो परिकल्पना की थी, वह आज वास्तविकता बनकर देश की सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान दे रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को एक जटिल विषय करार देते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र का मनोबल और जनमानस की जागरूकता और इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

श्री डोभाल ने विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, परन्तु यह पूरे देश का सामूहिक दायित्व है। सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास अद्यतन ज्ञान संपदा, मजबूत चरित्र और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण होना अनिवार्य है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां 'सिल्वर मेडल' जैसा कुछ नहीं होता, यहां या तो विजय मिलती है या पराजय। यदि आप जीतते हैं तो राष्ट्र सुरक्षित रहता है और यदि हारते हैं तो अस्तित्व ही दांव पर लग जाता है। अंत में उन्होंने युवा दीक्षार्थियों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर तैयार रहने और राष्ट्र सेवा के मिशन में पूरी क्षमता के साथ जुड़ जाने का आह्वान किया।

उल्लेखनीय है कि कीर्ति चक्र और राष्ट्रपति पुलिस मेडल जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित श्री अजीत डोभाल भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। उनके मार्गदर्शन में भारत की सुरक्षा नीतियां अधिक मजबूत बनी हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार ने गुजरात की पवित्र धरती को नमन करते हुए कहा कि यह भूमि महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभभाई पटेल और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन केवल डिग्री प्राप्त करने का नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और न्याय प्रणाली के संरक्षक बनने के संकल्प का दिन है। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।

देश की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में बात करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करके प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के समय में केवल शारीरिक क्षमता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश को टेक्नोलॉजी और आधुनिक चुनौतियों को समझ सके, ऐसे 'ट्रेंड मैनपावर' की जरूरत है। अंत में उन्होंने विद्यार्थियों से अनुरोध करते हुए तीन मूल बातों- सुरक्षा और स्वतंत्रता का समन्वय, न्यायिक सेवा के प्रति निष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए साहस, को जीवन में उतारने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. बिमल पटेल ने महानुभावों सहित उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए यूनिवर्सिटी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' और आंतरिक सुरक्षा में वैश्विक लीडर बनने के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने यूनिवर्सिटी की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के साथ शैक्षणिक भागीदारी और स्मार्ट प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी की नई पहल हैं। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी द्वारा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और साइबर सुरक्षा शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, जो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी का लक्ष्य केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि पुलिस बल को अधिक पेशेवर, नागरिक-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार करना है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक शैक्षणिक और सुरक्षा विषयक गतिविधियों का विस्तार करके राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय सुरक्षा के नए मानदंड स्थापित कर रही है। मॉडल रिसर्च सेंटर के तौर पर उभरी यह यूनिवर्सिटी देश के सर्वांगीण विकास और सुरक्षित भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

समारोह के दौरान विभिन्न संकायों के स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के कुल 562 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई।

समारोह के प्रारंभ में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इसके बाद राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने महानुभावों और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ फोटो खिंचवाई।

"मीडिया एडवांटेज 2026": बदलते दौर में मीडिया की ताकत और ब्रांड रणनीति पर अहम मंथन

अहमदाबाद। तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य और ब्रांडिंग की नई चुनौतियों के बीच अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण विचार-मंथन देखने को मिला, जब Ahmedabad Advertising Welfare Circle Association (AACA) ने अपने 35वें एडवरटाइजिंग फेस्टिवल के अंतर्गत "मीडिया एडवांटेज 2026" टॉक शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देशभर के मीडिया विशेषज्ञों, विज्ञापन पेशेवरों और ब्रांड रणनीतिकारों ने हिस्सा लिया और आधुनिक मीडिया की बदलती भूमिका पर गहन चर्चा की।

कार्यक्रम का केंद्र बिंदु यह रहा कि आज के दौर में केवल एक माध्यम पर निर्भर रहकर ब्रांड की पहचान बनाना संभव नहीं है। विशेषज्ञों ने एक स्वर में इस बात पर जोर दिया कि इंटीग्रेटेड मीडिया स्ट्रेटेजी—जिसमें प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल और आउटडोर सभी शामिल हों—ही किसी ब्रांड को वास्तविक प्रभाव और दीर्घकालिक पहचान दिला सकती है।

Basant Rathore ने अपने विचार रखते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति के बावजूद प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता आज भी बरकरार है। उनके अनुसार, जब बात ब्रांड की प्रतिष्ठा और भरोसे की आती है, तो प्रिंट मीडिया अब भी सबसे मजबूत स्तंभ साबित होता है। वहीं Yatish Maharshi ने रेडियो की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मल्टी-मीडिया के इस दौर में रेडियो एक संतुलनकारी माध्यम की भूमिका निभाता है, जो स्थानीय स्तर पर गहरी पहुंच और जुड़ाव स्थापित करता है।

Manoj Jagyasi ने पारंपरिक और डिजिटल मीडिया के बीच संतुलन को जरूरी बताते हुए कहा कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि टेलीविजन आज भी भारत में सबसे व्यापक पहुंच वाला माध्यम है, जो बड़े स्तर पर ब्रांड संदेश को पहुंचाने में सक्षम है। आउटडोर मीडिया के क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए Jayesh Yagnik ने कहा कि यह एक ऐसा माध्यम है जो पूरी तरह से विज्ञापन के लिए समर्पित है और इसमें कोई अन्य विचलन नहीं होता। उन्होंने डिजिटल आउटडोर को भविष्य का माध्यम बताते हुए कहा कि यह न केवल आकर्षक है, बल्कि तकनीक के माध्यम से अधिक प्रभावशाली और इनोवेटिव भी बनता जा रहा है।

डिजिटल मीडिया के बदलते स्वरूप पर Dr Kushal Sanghvi ने एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल मीडिया केवल जागरूकता का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह "कनेक्टेड कॉमर्स" में बदल चुका है, जहां हर क्लिक, हर व्यू और हर इंटरैक्शन एक संभावित लेन-देन में परिवर्तित हो सकता है। यह बदलाव ब्रांड्स के लिए नए अवसरों के साथ-साथ नई जिम्मेदारियां भी लेकर आया है।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने वर्ष 2025–26 में राजस्व, ट्रेन संचालन एवं सुरक्षा के क्षेत्र में रचा नया इतिहास

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्व अर्जन, परिचालन दक्षता, यात्री सुविधाओं तथा सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मंडल ने इस वर्ष कई मानकों पर "अब तक का सर्वश्रेष्ठ" प्रदर्शन दर्ज किया है, जो रेलवे के समग्र विकास और यात्री हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपलब्धियाँ भविष्य में और बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रेरणादायक सिद्ध होंगी।

राजस्व क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

मंडल द्वारा वर्ष 2025–26 में कुल उत्पन्न राजस्व 1345.63 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% अधिक है।

- यात्री राजस्व 313.39 करोड़ (17.9% वृद्धि) – अब तक का सर्वाधिक
- माल राजस्व 975.88 करोड़
- टिकट जांच राजस्व 7.15 करोड़ (48.8% वृद्धि) – अब तक का सर्वाधिक
- विविध राजस्व 30.13 करोड़ (13.9% वृद्धि)
- गैर-किराया राजस्व 4.24 करोड़ (रिकॉर्ड 9% वृद्धि)
- खानपान एवं पार्किंग राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई

मंडल ने एक ही दिन में (04.11.2025 को) 1.34 करोड़ का यात्री राजस्व तथा एक माह में (नवम्बर-2025 में) 29.50 करोड़ का रिकॉर्ड यात्री राजस्व अर्जित किया।

परिचालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन

मंडल ने माल ढुलाई एवं परिचालन में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए—

- उर्वरक की सर्वाधिक मासिक लोडिंग: 94 रेक (दिसम्बर-2025)
- LPG लोडिंग: 77 रेक (अप्रैल 2025)
- एक दिन में 630 वैगनों की लोडिंग
- वर्ष के दौरान 5703 क्रैक ट्रेनों का संचालन
- औसत गति एवं वैगन टर्नअराउंड में सुधार

समयपालन के क्षेत्र में 96.48% की उपलब्धि के साथ मंडल ने पश्चिम रेलवे में प्रथम तथा भारतीय रेलवे में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

मंडल ने सुरक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य करते हुए—

- 22 लेवल क्रॉसिंग समाप्त कीं
- 05 स्टेशनों पर फायर अलार्म सिस्टम स्थापित
- "जीरो SPAD एवं BOR" उपलब्धि हासिल की
- गिर क्षेत्र में 105 शेरों का सफल संरक्षण सुनिश्चित किया

यात्री सुविधाओं का विस्तार

यात्रियों की सुविधा के लिए—

- 6 स्टेशनों पर FOB निर्माण
- 12 स्टेशनों पर डिजिटल सुविधाएँ
- 14 स्टेशनों का पुनर्विकास
- कवर शेड एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया

आधारभूत संरचना एवं तकनीकी विकास

मंडल में ट्रैक, सिग्नल, दूरसंचार एवं विद्युत संरचना में व्यापक सुधार किए गए, जिनमें—

- नए ट्रैक एवं साइडिंग का निर्माण
- 72 किमी OFC बिछाना
- 207 CCTV कैमरों की स्थापना
- 534 KWp सौर ऊर्जा क्षमता का विकास शामिल है

कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में पहल

कर्मचारियों के हित में—

- 96 नए आवास निर्मित
- 1000 से अधिक पदोन्नतियाँ
- स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण
- ओपन जिम एवं सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया गया
- भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भावनगर मंडल की ये उपलब्धियाँ रेलवे की प्रगतिशील सोच, कुशल प्रबंधन तथा कर्मचारियों के समर्पण का परिणाम हैं। मंडल भविष्य में भी यात्री सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा सुदृढ़ीकरण एवं राजस्व वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।

सूरत में डॉ. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वाल्मीकि समुदाय के अधिकारों की मांग की गई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत रत्न, संविधान के निर्माता, प्रथम विधि मंत्री और गरीबों के मसीहा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर, गुजरात प्रदेश महानगरपालिका कर्मिक कांग्रेस द्वारा रिंग रोड स्थित डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ. बाबासाहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके कार्यों को याद किया गया। गुजरात प्रदेश महानगरपालिका कर्मिक कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सूरत के न्यू ओपेरा हाउस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सैयदभाई शेख ने कहा कि वाल्मीकि समुदाय अन्य समुदायों की तुलना में बेहद पिछड़ा हुआ है और शिक्षा के मामले में भी पिछड़ा है। इस समुदाय का वास्तव में विकास होना चाहिए। इस समुदाय का आर्थिक शोषण बंद होना चाहिए और उन्हें पर्याप्त रोजगार और न्याय मिलना चाहिए। वाल्मीकि समुदाय को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए।

गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष भाई लाल वैष्णव ने मुख्य सीट से कहा कि वाल्मीकि समुदाय को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के मंत्र "शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो" को व्यवहार में लाना चाहिए। यदि वाल्मीकि समुदाय संगठित होकर संघर्ष नहीं करेगा, तो समाज में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। तब तक समाज प्रगति नहीं कर पाएगा, इसलिए समाज के शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करने से ही समाज का भला होगा। समाज के उद्धार और विकास के लिए, समाज के कार्यकर्ताओं को अपने आंतरिक मतभेदों और झगड़ों को भुलाकर समाज की प्रगति के लिए एकजुट होना चाहिए। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया और संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो अधिकार प्राप्त हुए, हमें पिछली स्थिति पर विचार करना चाहिए। हमारा समाज उस समय कैसा था और हमें यह सोचना चाहिए कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के बलिदान के बाद समाज की क्या स्थिति है। इसीलिए समाज को एकजुट होकर समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए लाए जा रहे आरक्षण कानून का स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही है। साथ ही, हम यह भी मांग करते हैं कि जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में, जहां महिलाओं को 30% आरक्षण का लाभ दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को इससे वंचित रखा गया है, जिसके कारण इस समुदाय की महिलाओं को चुनाव लड़ने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। यदि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाना है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। जब तक कानून में यह प्रावधान नहीं किया जाता, इस समुदाय की महिलाओं का उद्धार संभव नहीं है। यदि यह कानून वास्तव में महिलाओं के विकास के लिए पारित किया जा रहा है, तो महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। कानून में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए। और कानून में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इन महिलाओं को 7% और 14% का लाभ मिल सके।

इस संगठन ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों और महामहिम राष्ट्रपति से समाज की महिलाओं के विकास के लिए कानून में प्रावधान करने की मांग की है। इस बैठक में शशिकांत सोलंकी, कांतिभाई सोलंकी, प्रवीणभाई सोलंकी, अशोकभाई कंथरिया, सुभाषभाई जादे, मेडिकल कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस.एल. कंथरिया, महासचिव विशालभाई मुंशी और अन्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूर्व सैनिकों के दर्जे और घायल सैन्य कैडेटों के लिए आरक्षण के बारे में पूछ

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या सेना में चयनित होने के बाद प्रशिक्षण के दौरान घायल या विकलांग हो जाने वाले सैन्य कैडेटों को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा सकता है और क्या उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन युवा कैडेटों की रोजगार संबंधी जरूरतों और चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इन मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण के दौरान चोट या विकलांगता के कारण कैडेटों को होने वाली कठिनाइयों से संबंधित मामले की सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने गौर किया कि अधिकांश सैन्य कैडेट 30 वर्ष से कम आयु के हैं और उन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है। क्या चिकित्सा कारणों से बाहर किए गए कैडेट सरकारी और अर्ध-प्रतिष्ठित पदों में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं? इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर विस्तृत जवाब दिया जाएगा।

500 कैडेटों की समस्या

1985 से अब तक, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के कारण लगभग 500 कैडेटों को प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता ने इन कैडेटों की समस्याओं को एक नए स्तर पर पहुँचाया है, जिससे उनके अधिकारों और अवसरों की रक्षा हुई है।

सामाजिक समरसता महोत्सव : लोकभवन-गांधीनगर

समाज के सुदूरवर्ती व्यक्ति को मुख्यधारा में लाना ही सच्ची राष्ट्रसेवा है : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

▸▸ गुजरात की पुण्य भूमि हमेशा सामाजिक न्याय और समरसता की साक्षी रही है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ सामाजिक समरसता और अंत्योदय के संकल्प के साथ लोकभवन में सामाजिक समरसता महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ

गांधीनगर : बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में मंगलवार को गांधीनगर स्थित लोकभवन में 'सामाजिक समरसता महोत्सव' आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बाबासाहेब आंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबासाहेब ने केवल संविधान का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि देश की आधुनिक प्रगति और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी है। बाबासाहेब ने भगवान बुद्ध के 'भवतु सब्ब मंगलम्' सिद्धांत का अनुसरण करते हुए समतावादी समाज रचने के लिए 'समता' समाचार पत्र द्वारा जनजागृति फैलाई थी।

राष्ट्रपति ने सामाजिक समरसता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि समाज के सुदूरवर्ती व्यक्ति को मुख्यधारा में लाना ही सच्ची राष्ट्रसेवा है। बाबासाहेब ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'प्रतिष्ठा और अवसर की समानता' शब्द ही हमारा अंतिम लक्ष्य है।

बाबासाहेब के 'शिक्षित बनो' संदेश पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ही विकास की सच्ची कुंजी है। संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। विशेषकर वंचित और पिछड़े वर्गों के लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित हों, यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नैतिक शिक्षा द्वारा सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया।

राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी

▸▸ बाबासाहेब ने शिक्षा के माध्यम से संविधान निर्माण द्वारा शोषितों और वंचितों को नई दिशा दी

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'अंत्योदय' के विचार के साथ सुदूरवर्ती व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध

राष्ट्रपति ने गांवों को भारतीय संस्कृति का वाहक बताते हुए कहा कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। समरस भारतीय समाज का निर्माण समरस गांवों के बिना संभव नहीं है। गांवों में आज भी जाति-भेद से ऊपर उठकर जो परस्पर प्रेम और सौहार्द दिखाई देता है, वही सच्ची भारतीयता है। जब गांव आत्मनिर्भर और सुविधायुक्त बनेंगे, तभी भारत सही अर्थों में विकसित बनेगा।

अपने पिता की सीख को याद करते हुए राष्ट्रपति भावुक हुईं और कहा कि जब मैं पढ़ती थी तब मेरे पिता कहते थे; चाहे जितने बड़े बन जाओ, लेकिन हमेशा मुड़कर यह अवश्य देखो कि कोई जरूरतमंद पीछे न रह जाए। आपकी व्यक्तिगत सफलता तभी सार्थक मानी जाएगी जब वह समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में काम आए।

गुजरात के डेयरी उद्योग और पशुपालकों के परिश्रम की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जिसमें गुजरात की सहकारी संस्थाओं और पशुपालकों की भूमिका अग्रणी है। इस अवसर पर उन्होंने ओडिशा में पशुपालन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 'गौ-मित्र' पद की रचना और गौ-सेवा द्वारा रोजगार बढ़ाने के प्रयोगों का भी स्मरण किया।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

▸▸ समरस गांवों द्वारा ही 'विकसित भारत' की नींव मजबूत होगी : राष्ट्रपति ने सामाजिक समरसता का मंत्र दिया

▸▸ बाबा साहेब के 'शिक्षित बनो' संदेश को चरितार्थ कर वंचितों को सशक्त बनाने का राष्ट्रपति का आह्वान

▸▸ दूध उत्पादन में भारत की वैश्विक उपलब्धि में गुजरात के पशुपालकों के सहयोग को राष्ट्रपति ने सराहा

राष्ट्रपति ने गुजरात में चल रहे सामाजिक समरसतायुक्त सर्वसमावेशी विकास के प्रयासों के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात के लोग अपनी मेहनत से राज्य को पूर्ण रूप से विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। सामाजिक लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में अपनाकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को जीवित रखने का सभी से अनुरोध किया।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति को गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष और तपस्या का प्रतीक है। विशेष रूप से आदिवासी समाज में शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करके उन्होंने बेटियों के लिए पथप्रदर्शक का कार्य किया है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने शिक्षा का मार्ग अपनाकर तथा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत के संविधान के निर्माण द्वारा शोषितों और वंचितों को नई दिशा दी थी। बाबासाहेब का स्पष्ट मानना था कि न्याय, भाईचारा और समरसता ही राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं।

वेदों और शास्त्रों का संदर्भ देते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जाति-भेद को कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि समय के साथ समाज में प्रवेश कर चुकी कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों ने अनेक कार्य किए थे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'अंत्योदय' के विचार के साथ अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, ताकि भारत सही अर्थों में आत्मनिर्भर और विकसित बन सके।

राज्यपाल ने अपने संकल्प के बारे में बात करते हुए कहा कि वे गुजरात के 267 तहसीलों में जाकर गांवों में रात्रि विश्राम कर जनसंवाद करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' और स्वच्छता अभियान के माध्यम से गांवों का कायाकल्प करना उनका लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ बाबासाहेब ने सभी को समान अवसर और सामाजिक न्याय से नारी शक्ति सहित सभी के विकास की हिमायत की

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान की वंदना के साथ शासन दायित्व संभालकर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के कल्याण को प्राथमिकता दी

आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा गांवों में शहर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने राजकोट जिले के लूणीवाव गांव के गरीब परिवार के साथ भोजन करने के प्रसंग को याद करते हुए जोड़ा कि हृदय से हृदय का जुड़ाव ही सच्ची समरसता है।

अंत में राज्यपाल ने आह्वान किया कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान के रूप में भाईचारा और परस्पर सम्मान विकसित करें। बाबासाहेब आंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए एकजुट और सशक्त भारत बनाने के लिए सामाजिक समरसता अनिवार्य है। जब समाज में ऊंच-नीच के भेद समाप्त होंगे और प्रत्येक नागरिक को समान सम्मान मिलेगा, तभी बाबासाहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित मानी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की जयंती पर लोकभवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव को बंधुत्व, भाईचारे और एक भारत, श्रेष्ठ भारत को सुदृढ़ करने वाला बताया। उन्होंने डॉ. आंबेडकर को कृतज्ञतापूर्वक भावांजलि देते हुए कहा कि बाबासाहब ने सभी को समान अवसर और सामाजिक न्याय के जरिए नारी शक्ति सहित सभी के विकास की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी डॉ. आंबेडकर के उसी विचार को साकार करने के लिए नारी शक्ति को शासन भागीदारी में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में कहा कि 16 अप्रैल को आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र के सुसंगत हर किसी को को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करके विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति के अधिक से अधिक योगदान को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने डॉ. बाबासाहब द्वारा समानता और समरसता का दायरा बढ़ाने के लिए दिए गए महत्वपूर्ण योगदान का भी स्मरण किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान की वंदना के साथ शासन दायित्व संभालकर दलितों, पीड़ितों, शोषितों और वंचितों के कल्याण को प्राथमिकता दी है।

श्री पटेल ने यह भी कहा कि मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना और पीएम स्वामित्व योजना जैसी अनेक जनहितकारी योजनाओं के सबसे अधिक लाभार्थी वंचित, पीड़ित और शोषित समुदाय के लोग हैं।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक समरसता के लिए राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी द्वारा राज्य की 267 तहसीलों के गांवों में जाकर रात्रि ठहराव, जनसंवाद और वंचित परिवारों के यहां भोजन करने की पहल की सराहना की।

इतना ही नहीं, उन्होंने इन गांवों में राज्यपाल द्वारा प्राकृतिक खेती, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान जैसे जनजागरूकता अभियानों में लोगों को जोड़कर सामाजिक समरसता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की भी प्रेरणा देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा भी वंचितों के विकास और सर्वग्राही कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं की सफलता की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि सामाजिक समरसता को गति देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में गुजरात अग्रणी रहेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात की यह पुण्यधरा हमेशा सामाजिक न्याय और समरसता की साक्षी रही है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी की उपस्थिति प्रत्येक नागरिक के लिए आशा की किरण बन गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान 'संविधान गौरव यात्रा' और 'कन्या केळवणी' (कन्या शिक्षा) जैसे अभियानों के माध्यम से समरसता को आधुनिक स्वरूप दिया है। इस अवसर पर श्री संघवी ने राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे स्वयं साधारण नागरिक की तरह सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करके गांवों तक पहुंचते हैं और गरीब परिवारों के साथ समय बिताकर उनकी चिंता करते हैं, जो सामाजिक समरसता का उत्तम दृष्टांत है।

उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार समाज के सभी वर्गों के समान और सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध रहेगी।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा, राज्य मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील, गुजरात के गांवों से आए नागरिक और उनके परिवारजनों के अलावा कई पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित रहे।

अहमदाबाद मण्डल के 4 कर्मचारी संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित

दिनांक 13.04.2026 को अहमदाबाद मंडल में रेल संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इन कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्च स्तर की सतर्कता, सजगता एवं जिम्मेदारी का परिचय दिया, जिसके परिणामस्वरूप संभावित दुर्घटनाओं को टालते हुए सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित किया गया।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री अरविंद कुमार मीणा ने बताया की, पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य यह दर्शाते हैं कि संरक्षा के प्रति सजगता एवं कर्तव्यनिष्ठा से बड़े से बड़े हादसों को भी रोका जा सकता है।

पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:

1. श्री विपुल कुमार कांटेवाला
पॉइंट्समैन, कटारिया (परिचालन विभाग)
दिनांक 11.11.2025 को ड्यूटी के दौरान इन्होंने असाधारण सतर्कता का परिचय देते हुए चलती ट्रेन के एक वैगन में हैंड ब्रेक की कनेक्टिंग रॉड लटकी हुई देखी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इन्होंने तत्काल ट्रेन को सुरक्षित रूप से रुकवाया तथा स्टेशन स्टाफ के सहयोग से त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया। उनकी तत्परता एवं सजगता के कारण एक संभावित गंभीर दुर्घटना को टालना संभव हुआ।

2. श्री आकाश सेटा
JE/C&W, साबरमती (यांत्रिक विभाग)
ROH अनुरक्षण के दौरान इन्होंने BLCS वैगनों के Centre Sill में गंभीर संरचनात्मक दरारों की पहचान की। Dye Penetrant Testing (DPT) के माध्यम से त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते हुए इन्होंने RDSO दिशा-निर्देशों के अनुसार 45 वैगनों की संयुक्त जांच का नेतृत्व किया। उनकी तकनीकी दक्षता एवं सतर्कता से संभावित बड़ी दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

3. श्री किशन एच. ठाकुर
MCF/C&W, साबरमती (यांत्रिक विभाग)
इन्होंने वैगनों के Centre Sill में क्रैक/हेयरलाइन क्रैक का समय रहते पता लगाकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। जांच एवं संयुक्त निरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए इन्होंने दोष की पुष्टि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सजगता एवं तकनीकी दक्षता से संभावित दुर्घटना को रोका जा सका।

4. श्री प्रीतम शर्मा
Fitter-1/C&W, साबरमती (यांत्रिक विभाग)
ROH अनुरक्षण के दौरान इन्होंने सर्वप्रथम संदिग्ध वैगनों में दरारों का पता लगाकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। इसके फलस्वरूप विस्तृत परीक्षण एवं निरीक्षण कर दोष की पुष्टि की गई। उनकी प्रारंभिक सतर्कता के कारण गंभीर संरचनात्मक खामियों का समय रहते निराकरण संभव हुआ तथा रेल संरक्षा सुनिश्चित की जा सकी।

अहमदाबाद मंडल द्वारा ऐसे कर्मठ एवं सतर्क कर्मचारियों को सम्मानित करना संगठन में संरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंडल भविष्य में भी संरक्षा, दक्षता एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को निरंतर बढ़ावा देता रहेगा।

चुनावी सरगर्मी के बीच बदला IPL शेड्यूलः GT–CSK मुकाबलों का वेन्यू और तारीख बदली, रणनीतियों पर पड़ेगा असर

हैदराबाद। Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने Indian Premier League 2026 के बीच एक अहम फैसला लेते हुए Gujarat Titans और Chennai Super Kings के बीच होने वाले दो महत्वपूर्ण मुकाबलों के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। यह निर्णय गुजरात में होने वाले नगर निगम चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से लिया गया है, जिससे अब दोनों टीमों को अपने-अपने प्लान और रणनीतियों में बदलाव करना पड़ेगा।

दरअसल, 26 अप्रैल को गुजरात के कई शहरों—अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट—में मतदान होना है। ऐसे में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती चुनाव ड्यूटी में लगे रहने के कारण स्टेडियम में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। इसी वजह से BCCI को मजबूरन मैचों के वेन्यू और टाइमिंग में बदलाव करना पड़ा।

नए शेड्यूल के अनुसार, 26 अप्रैल को Narendra Modi Stadium में होने वाला मुकाबला अब MA Chidambaram Stadium (चेपॉक, चेन्नई) में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। वहीं, 21 मई को चेन्नई में प्रस्तावित मैच अब अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। इस अदला-बदली से दोनों टीमों के 'होम एडवांटेज' का समीकरण भी बदल गया है।

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर फैंस पर पड़ा है, जिन्हें अब अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ेगा। खासकर वे दर्शक, जिन्होंने पहले से टिकट और यात्रा की तैयारी कर रखी थी, उन्हें नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। हालांकि, BCCI ने साफ किया है कि यह फैसला पूरी तरह से सुरक्षा और सुचारू आयोजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो इस सीजन में Chennai Super Kings का सफर अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। पांच बार की चैंपियन टीम ने अपने शुरुआती चार मुकाबलों में से सिर्फ एक में जीत दर्ज की है और अंक तालिका में निचले पायदान पर बनी हुई है। दूसरी ओर Gujarat Titans ने संतुलित प्रदर्शन करते हुए चार में से दो मैच जीते हैं और मिड-टेबल में अपनी स्थिति बनाए रखी है।

वेन्यू बदलने से दोनों टीमों की रणनीति पर भी सीधा असर पड़ेगा। चेपॉक की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, जबकि अहमदाबाद का मैदान बड़े स्कोर और तेज गेंदबाजों के लिए जाना जाता है। ऐसे में टीम संयोजन, प्लेइंग इलेवन और मैच प्लानिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर, चुनावी माहौल ने इस बार IPL के रोमांच में एक नया मोड़ जोड़ दिया है। अब देखना होगा कि बदले हुए हालात में कौन सी टीम बेहतर तालमेल बैठाकर जीत की राह पर आगे बढ़ती है और कौन इस बदलाव से प्रभावित होकर पिछड़ जाती है।

देशभर में बदला मौसम का मिजाज: कहीं तपती धरती तो कहीं बरसते बादल, दिल्ली-एनसीआर में 40 डिग्री की आहट

अप्रैल का महीना जैसे-जैसे अपने मध्य की ओर बढ़ रहा है, देशभर में मौसम का मिजाज भी तेजी से बदलता नजर आ रहा है। एक ओर उत्तर-पश्चिम भारत, खासकर Delhi और एनसीआर क्षेत्र में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर लोगों को राहत दे रहा है। इस समय देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का यह विरोधाभास न केवल दिलचस्प है, बल्कि कई जगहों पर चिंता का विषय भी बनता जा रहा है।

राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। दोपहर के समय तेज धूप और साफ आसमान लोगों को झुलसा देने वाला अहसास दे रहा है। हालांकि यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि आने वाले सात दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान जताया गया है। गर्म हवाओं के साथ बढ़ती तपिश ने लोगों को दिन के समय घरों में रहने को मजबूर कर दिया है और सड़कों पर भी दोपहर के वक्त सन्नाटा देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग यानी India Meteorological Department ने इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है। विभाग के अनुसार, जून से सितंबर के बीच देश में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। जहां सामान्य तौर पर इस अवधि में लगभग 87 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं इस बार यह आंकड़ा करीब 80 सेंटीमीटर तक सीमित रह सकता है।

विभाग के महानिदेशक Mrutyunjay Mohapatra ने बताया कि इस बार मानसून दीर्घकालिक औसत (LPA) का लगभग 92 प्रतिशत रह सकता है, जिसमें 5 प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी संभव है। यह संकेत कृषि और जल संसाधनों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

जहां एक ओर उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही है, वहीं पूर्वोत्तर भारत में मौसम बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram और Tripura में 14 से 17 अप्रैल के बीच गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। Arunachal Pradesh में 14, 18 और 19 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे वहां के निचले इलाकों में जलभराव और भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है।

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहां का मौसम कुछ राहत भरा रहने वाला है। Himachal Pradesh में 17 से 19 अप्रैल के बीच हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। वहीं Uttarakhand में 17 और 18 अप्रैल को मौसम बदलने के संकेत हैं, जो गर्मी से थोड़ी राहत दे सकते हैं। Jammu and Kashmir और लद्दाख क्षेत्र में 18 और 19 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे वहां के मौसम में ठंडक बनी रह सकती है।

पूर्वी भारत में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। West Bengal और Sikkim में 14 और 15 अप्रैल के दौरान बारिश होने की संभावना है, जिससे वहां के तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। Karnataka और Kerala के कई हिस्सों में 14 से 17 अप्रैल के बीच आंधी, बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इस बीच देश के कई हिस्सों में लू का खतरा भी मंडरा रहा है। Maharashtra, Madhya Pradesh और Odisha के कुछ इलाकों में 15 से 18 अप्रैल के बीच लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 19 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो आने वाले दिनों में गर्मी को और अधिक तीव्र बना सकती है।

इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए यह स्पष्ट है कि देश इस समय मौसम के एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां एक ओर गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी है। यह स्थिति न केवल आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि कृषि, जल प्रबंधन और स्वास्थ्य के लिए भी चुनौती बनती जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीना, धूप में बाहर निकलने से बचना और हल्के कपड़े पहनना जरूरी है, वहीं बारिश और आंधी के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहना और बिजली से बचाव के उपाय अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अंततः, बदलता हुआ यह मौसम हमें यह संकेत दे रहा है कि प्रकृति अपने संतुलन में निरंतर परिवर्तन कर रही है। ऐसे में हमें न केवल इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा, ताकि आने वाले समय में मौसम की यह अनिश्चितता और अधिक चुनौतीपूर्ण न बन जाए।